

उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़ ।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या - 09/2017

नवीन कुमार बनाम राज्य

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

25-10-2017


—: आदेश :-


अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय में पारित आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्यसात वाद संख्या- 137/2013 राज्य बनाम् नवीन कुमार में अपीलार्थी द्वारा समर्पित दावा-दस्तावेजों का विधिवत जाँच कर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः उक्त वर्णित परिस्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या- 137/2013 राज्य बनाम् नवीन कुमार में दिनांक 24.12.2016 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए, यह वाद उनके समक्ष रिमाण्ड किया जाता है तथा उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे पुनः नये सिरे से विविधत् जाँच कर वाद की सुनवाई करते हुए आदेश पारित करेंगे।

तदनुसार इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को प्रेषित करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
रामगढ़।


उपायुक्त,
रामगढ़।

702/चिधि
06/11/17